receive some assistance from the neighbouring States. There are 220 KW lines. The entire North-Eastern region has hydro potential and it is being investigated and we are clearing projects as quickly as possible. As I have said earlier, the Prime Minister is making great efforts in solving the Assam tangle and also in the economic development of Assam. And I am sure I have answered all the points raised by the hon. Members regarding the accounts, regarding the potential and electrification, and I recommend that the Resolution be passed.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), read with clause (b) of the Proclamation issued on the 12th day of December, 1979, by the President under article 356 of the Constitution with respect to the State of Assam, this House accords approval for fixing under the said sub-section (3) the sum of one hundred and thirty crores of rupees as the maximum amount which the Assam State Electricity Board may, at any time, have on loan under sub-section (1) of the said section 65."

The motion was adopted.

15.53 **hrs.**

MICA MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, be taken into consideration."

With a view to constitute a Fund for the financing of activities to promote the welfare of labour employed in the mica mining industry, the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, was enacted and brought into force with effect from 23rd April, 1946. The Act provided for the levy of a cess as a duty of customs on all mica exported from the country at such rate not exceeding six and one-quarter per cent *ad valorem* as may from time to time be fixed by the Central Government by notification in the official Gazette. The present rate of cess which is effective from 15-7-1974 is 3½ per cent *ad valorem*.

The mica mining industry is concentrated mainly in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Rajasthan and there are approximately 9,000 workers employed in it. The Welfare Fund has been utilised over the years to finance various facilities for the benefit of these workers. These relate mainly to running of medical and health care institutions, sanction of grants-in-aid for subsidised housing and for schemes of drinking water supply, disbursement of educational scholarships and implementation of recreational programmes for such workers.

Section 6 of the aforesaid Act empowers the Central Act to make rules to carry into effect the purposes of the Act. The Act does not presently provide that the rules so made by the Central Government be also laid before Parliament, as is generally provided for in all such legislations undertaken since 26-1-1950.

This aspect came up for review by the Committee on Subordinate Legislation (Fifth Lok Sabha), who in their 14th Report desired that the Government should undertake a review of all Acts with a view to finding out whether these contained a provision for laying of rules framed thereunder before Parliament. The Committee on Subordinate Legislation (Sixth Lok Sabha) in their 19th Report specifically desired that the omission obtainable in the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, should be made good at the earliest possible opportunity. It is in this background that the present Bill has been presented to the House for consideration. The Bill seeks to insert sub-section (3) under Section 6 of the Mica Mines Labour

[Shri T. Anjiah]

Welfare Fund Act to provide that every rule made by the Central Government under the Act shall be laid appropriately before each House of Parliament.

With these brief remarks I commend to the House the consideration and passing of this Bill.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): I welcome the Bill that my hon. friend the Labour Minister has moved for consideration.

As the hon. Minister himself stated, the Bill is a very simple amendment. It seeks to affect an amendment of section 6 which empowers the Central Government to make rules to carry into effect the purposes of the Act. As the hon. Minister explained, this Bill has been brought before the House in pursuance of the recommendations made by the Committee on Subordinate Legislation.

The Committee on Subordinate Legislation obviously felt that though the Government has the authority to make rules for the effective implementation of the Act, Parliament must get an opportunity, not only to be acquainted with the rules that are framed by the Government, but also to examine the nature of the rules, to assess the functioning of the Act, to see how the Act is being made use of to ensure the welfare of the workers for whom the Act was enacted by Parliament.

This amendment, when it becomes law, will, therefore give Parliament an opportunity to evaluate, to assess, the measures that are being taken by Government in pursuance of the objectives of this piece of welfare legislation.

As my hon. friend pointed out, in a sense, this very Bill gives an opportunity for us to make a few observations on the problems of mica mine labour, particularly problems that relate to their welfare.

Sir, when I was on the other side, I used to observe, that often times simple Bills of this kind were availed of by hon. Members to inject the consideration of many problems that were either not related to the field, or in some cases very distantly related. I shall not follow that example, which I have often held to ridicule in this House. But I shall certain lyavail of this opportunity to make a few observations on the purpose of the Fund, on the purpose of this legislation, the parent Act.

As the hon. Minister said, most of our mica mines are situated in Bihar, Andhra and Rajasthan. The Fund has been constituted to promote the welfare of these workers. I have no hesitation in saying that these workers are among those who are employed in some of the most arduous and hazardous areas of employment. Unlike some other mine workers, the mica mine workers do not have a high degree of organised strength behind them Therefore, whenever you find that the workers have to work in arduous and hazardous occupations, their number is not large, their organisation is not effective, the necessity for the Government to go to their rescue becomes all the greater in such circumstances. Added to that, it must be pointed out that unlike in the case of the coal mining industry, most of the mines in this sector are owned and operated by the private sector.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Almost all.

SHRI RAVINDRA VARMA: Yes. There may be one or two exceptions. But almost all of them are owned by the private sector. This, again, creates a different situation. In the case of coal mining, the Government is both employer and watchdog. As an employer, the Government has the responsibility to set an example, but the Government has also its additional responsibility as the watchdog of society. In the case of coal mines, it has this dual responsibility, but in the case of mica mines, since most of these

mines are owned by the private sector, the responsibility of the Government to exercise its watchdog function is all the greater. Its role in this sector is an undiluted role of a watch-dog. Therefore, it is necessary for the Government to ensure that there is appropriate legislation, appropriate legislation that governs the conditions of work, safety, machinery for inspection, fixation of minimum wages and the periodic revision of minimum wages and the promotion of welfare.

It is not possible for any one to examine welfare without a reference to wages or conditions of work. These are inter-related, as my hon. friend, the Labour Minister would readily agree. He has experience not only as a Minister, but also as a trade unionist, and therefore, I am sure, that he will not differ from me when I say that the concept of welfare has to be an integrated concept. It cannot be divorced from wages, from legislation, from the concept of safety. Therefore, I have to refer to the question of wages. My hon. friend knows that the wages of mica mining workers is very low. It was last fixed in 1976. I already made a reference to the way. The organised power of the coal mine workers was used to ensure a high minimum wage for coal mine workers. When the Janata Government was in power, there was a wage revision for coal mine workers effected, which resulted in an increase of approximately a hundred and odd rupees per month in the minimum wages of a coal mine worker. Today, his minimum wage is Rs. 538, including basic wages, variable dearness allowance and attendance bonus. But what is the position of mica mine workers? The position is that an underground unskilled worker gets Rs. 6.96 a day; a semi-skilled worker gets Rs. 8.70 and a skilled worker gets Rs. 10.44. The workers who work above-ground get a lower wage—Rs. 5.80 for an unskilled worker, Rs. 7.25 for a semi-skilled worker and Rs. 8.70 for skilled worker. In Bihar, where you have a concentration of mica mines, the weekly wages approximate to about Rs. 37.38 (below ground) and Rs. 37.08 in the open cast mines. These wages were last fixed in 1976. It is high time, therefore, that my hon. friend, the Labour Minister, paid attention to the revision of the minimum wages in the mica mines.

I do not propose to deal with the proposals that have been put forward for the revision of wages, at length. For instance, in the case of open cast mines, the proposal is that it must be revised from Rs. 5.80 to Rs. 6.65. In the face of erosion in the value of money, an increase in the minimum wage from Rs. 5.80 in 1976 to Rs. 6.65 is no increase at all. I am sure, my hon. friend will agree with me that, in fact, it reflects or registers a fall in the real wage, not an increase. I will not take more time of the House in dealing with these proposals.

On the other hand, if one looks at the prices which mica has been earning—prices have to be related to wages—the prices have been going up. The export has gone up from 14,911 tonnes in 1977-78 to 18,859 tonnes in 1979-80. The value has gone up from Rs. 18.75 crores to 19.23 crores in 1978-79 and Rs. 23.03 crores in 1979-80. My hon. friend will say that because this is an *ad valorem* levy, when the value increases, naturally, the corpus of the fund will also increase. I do not dispute it. But what I am trying to point out is that it is not only necessary to say that it is an *ad valorem* levy and because of an increase in value the total corpus will increase but it is also necessary to see what element of this is passed on to the workers in terms of wages. If in four years, the wages do not increase, the real wages decrease, I must say that the unit value realisation of mica has also gone up in the last three years.

As I said in the beginning, where the wages are low, the responsibility to introduce measures to ensure welfare increases. On the one hand whenever there is a demand for wage revision, it means increase, not decrease,—"Revision" is a neutral word; whenever

[Shri Ravindra Varma]

there is a demand for wage revision, we are told that it will add to the inflationary process and, therefore, we should not ask for more wages. Here again, my hon. friend the Labour Minister will be more eloquent than I because he has spent many years of his life as a trade union leader. The answer is that we will be contributing to the process of inflation if dearness allowance is increased or wages are revised upwards. On the other hand, if you do not want to increase the quantum of wages in mony, then let benefits be passed on through relief measures, through welfare measures. Let there be an improvement in their standard of living, in the quality of life made available to them, through measures of welfare in kind. Then, there seems to be some difficulty here too. As my hon. friend has said the funds raised under the Act have been used for providing housing, water supply, medical attention etc I do not want to go into all this at length, but I must point out that, in spite of the fact that, under the low cost housing scheme, 75 per cent of the standard estimate or the actual cost is given to the mine owners, it cannot yet be said that the number of units of housing available is commensurate or proportionate to the number of workers in a mine area. I am sure my hon. friend, therefore, will not only use this provision as an incentive but, if necessary, he will find means of compelling the mine owners to ensure that adequate housing is provided.

Now, water supply is another important factor, especially because many of these areas, as my hon. and distinguished friend will agree, are areas where there is chronic water shortage. Therefore, I am somewhat amazed at seeing that in this year's budget there is some reduction in the provision. In 1979-80 the estimate was Rs. 1.52 lakhs and the revised estimate was Rs. 1.16 lakhs, but it has been further reduced in the estimate for 1980-81 to Rs. 1.06 lakhs. I think there is something wrong, because the need for ensuring water supply has not gone down. The provision is not adequate: I am sure my hon. friend will look into this.

Now, about accidents, I would say that accidents are a very important factor to which we have to give attention. On an average, I find from the figures, that there have been five to six fatal accidents every year in the mica mines, resulting in the death of five or six people per year. The Report of the Ministry says that Rs. 2770 were granted to widows, orphans and dependents in 1979-80. I do not want, in any way, to belittle the efforts of my hon. friend or the enthusiasm or sincerity of my hon. friend, but Rs. 2770/- seems to be a piffling amount. This is the total· my friend will understand the gravity of this. In the coal mines, when there is a fatality, the average amount of compensation that is received is over Rs. 20,000/-—between Rs. 20,000 and Rs. 30,000/-. Surely, life is equally dear to everyone, whether he be a worker in the coal mines or in the mica mines. Therefore, some method must be found and I would suggest to my hon. friend to consider whether some kind of compulsory group insurance schemes and accident insurance schemes cannot be thought of and made compulsory for the Management, to ensure that, in the case of fatality or serious accidents, adequate compensation—not merely a notional compensation but at least some adequate compensation—is made available to the family. With the multiplicity of schemes made available by the LIC, it should be possible for him to pursue this proposal for a compulory group insurance scheme.

Now, coming to health, medical inspection is being made compulsory. (*Interruptions*).

It does not matter; these are all for his consideration. These are not being put forth as criticism; I want him to consider these things.

As far as medical inspection of the mica mine workers is concerned, compulsory medical examination has been introduced from April 1979, but the present provision is for a periodic

examination, once in five years. I know this is a beginning; I do not blame him. But he will agree that the frequency has to be increased because this is, again, another industry which is very hazardous, where the workers are vulnerable to tuberculosis. There is a high incidence of tuberculosis because they inhale dust including feldspar, silicates etc. and the respiratory organs become particularly vulnerable, in their cases, and it leads to tuberculosis, silicosis, nueumocotrisis, etc. It is therefore necessary to take adequate steps to ensure periodic medical inspection, preventive steps as well as curatine treatment.

My hon. friend's report says that there are hospitals, and there are beds for domiciliary treatment. These are good; but he will agree that these are not adequate and, therefore, we have to work to increase these facilities.

As far as the preventive aspect is concerned, my hon. friend must be aware that there is an Institute under his Ministry, FASLI, which has its headquarters in Bombay, which has been doing an excellent job in devising and designing implements are gadgets that can be used to reduce vulnerability and to increase immunity. For instance, the masks, goggles and other things which they have produced—I am sure my hon. friend must have seen them—are very effective, indigenous, cheap, inexpensive, and it should be possible for him both to encourage the work at FASLI and also to see that these are introduced.

I do not want to take more time of the House, but I would only like to add in conclusion a few words about the cess. As the hon. Minister has said, today the provision is for a maximum rate of 6-1/3 per cent, and the rate fixed now is 3½ per cent. I do not know whether my hon. friend feels that there is a need to increase the rate. I know there are various factors that have to be taken into consideration in coming to a decision on increasing the rate, and he will not have an easy sailing if he goes to the Cabinet with a proposal of this kind. That is all quite understood. But, even so, if he feels that, in view of the necessity to ensure their welfare, there is need to go further within the maximum that has already been laid down, that is, 6-1/3 per cent, he should take up the responsibility to make such a proposal.

In conclusion, I would only say that, in the case of a welfare fund, one does not feel very happy when one sees that its closing balance is increasing. In 1977-78, the receipt was Rs. 75 lakhs and the expenditure was Rs. 65 lakhs. In 1978-79, the receipt was Rs. 89 lakhs and the expenditure was Rs. 69 lakhs. The estimated receipt for 1979-80 was Rs. 90 lakhs and the estimated expenditure was Rs. 80 lakhs. The estimated receipt for 1980-81 is Rs. 100 lakhs and the estimated expenditure is Rs. 80 lakhs. And the closing balance has risen from Rs. 1.02 lakhs in 1977-78 to Rs. 1.51 lakhs in 1980-81. I am sure my hon. friend, being a trade unionist, above all, and the hon. Labour Minister, will realise that this is not the best index of the health of a fund of this kind.

I do not want to take more time of the House. I support the Amendment so ably moved by my hon. friend, and I wish him all success in working for the welfare of the mica men.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाडा) सभापति महोदय, माइका लेबर वेलफेयर फंड ऐक्ट के सेक्शन 2 में इस प्रकार का प्रावधान है :

> "There shall be levied and collected as a cess for the purposes of this Act on all mica in whatever state exported from a duty of customs at such a rate not exceeding six and quarter per centum ad volorum."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो सेस इकट्ठा किया जाता है वह माइका में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में खर्च करने की पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए । माननीय सदस्य ने जो अभी

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बताया और जिस प्रकार की बचत बताई गई है, हर साल जो इकट्ठा होता है उसमें जो खर्च का प्रावधान होता है, हर साल उसके अंदर बचत रखी जाती है। उससे क्या होता है कि जो वेलफेयर ऐक्टिविटीज़ माइका माइन्स के मजदूरों के सम्बन्ध में चालू की जानी चाहिएं उसमें हर साल कटौती कर दी जाती है और ऐसे सवालों पर कटौती की जाती है जो मजदूरों के वेलफेयर से सम्बन्ध रखते हैं। सरकारी अधिकारियों या दूसरे काम करने वाले लोगों का खर्चा तो हर साल बढ़ता जाता है, उसका परसंटेज बढ़ता जाता है, पचास परसेंट से ज्यादा खर्चा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर किया जाता है और जो मजदूरों की सहायता के काम हैं चाहे वह मकान बनाने का सवाल है, चाहे शिक्षा में उनको स्कालरशिप देने का सवाल है, चाहे उनके लिए पीने के पानी का सवाल है, चाहे सड़क बनाने का सवाल है, इन सारे मामलों में जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें कटौती की जाती है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जिससे कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। आज से दस साल पहले हमारे यहां माइका माइन्स में पन्द्रह हजार मजदूर काम करते थे। लेकिन आज यह पोजीशन है कि जहां तक माइका का सम्बन्ध है, हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा माइका पैदा होती है। राजस्थान से जितनी माइका उपलब्ध होती है उसका 95 प्रतिशत भीलवाड़ा से ही उपलब्ध होती है लेकिन जहां तक माइका माइन्स में काम करने वाले मजदूरों का सम्बन्ध है, आज 15 हजार मजदूरों के स्थान पर केवल 5–6 सौ मजदूर ही वहां पर रह गये हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी ऐजेंसी, मिटको जोकि माइका के सम्बन्ध में व्यवस्था करती है, उसकी खरीददारी की व्यवस्था करती है वह, राजस्थान के भीलवाड़ा से जो माइका निकलती है उसकी खरीददारी में बहुत कम दिलचस्पी लेती है। बिहार तथा अन्य प्रान्तों में जहां बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, मिटको उनसे माइका खरीदने और उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करती है लेकिन छोटे-छोटे लोग, छोटी-छोटी खदानें खोदकर जो माइका पैदा करते हैं उसकी खरीददारी के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आखिर में उनको मजबूर होकर बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ बहुत कम दाम पर माइका बेचनी पड़ती है। मैं लेबर मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं हालांकि उनके डिपार्टमेन्ट की यह बात नहीं है, फिर भी लेबर वेलफेयर की बात आप करते हैं और इसी से आपको सेस मिलता है, जितना ज्यादा माइका निकलेगा उतना ही ज्यादा सेस भी आपको मिलेगा और उसी के द्वारा लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकेंगी। इसलिए माननीय श्रम मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और माइका की खदानें जो बन्द पड़ी हैं वह चालू की जायें ताकि एम्पलायमेन्ट बढ़े और मजदूरों को काम मिल सके।

सेक्शन (3) के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जायेंगी लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं उसमें ज्यादातर पैसा स्टाफ पर ही खर्च कर दिया जाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्टाफ पर कितना खर्चा किया जायेगा उसका पर्सेन्टेज निर्धारित हो जाए तभी वेलफेयर एक्टिविटीज़ की व्यवस्था ठीक हो पायेगी।

हमारे यहां माइका की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के टी०बी० तथा अन्य बीमारियां हो जाती हैं। उनके लिए जो छोटे-छोटे अस्पताल चलते हैं उनमें पूरी व्यवस्था नहीं होती है और अन्य टी०बी० सेनिटोरियम्स में भी उनको स्थान नहीं मिल पाता है जिसके कारण बिना इलाज के ही वे समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मेरा

निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे माइका की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा ज्यादा से ज्यादा सुधर सके। उनकी वैलफेयर एक्टिविटीज़ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

जहां तक माइन्स में सेफटी का सम्बन्ध है, साल में एक बार सेफटी वीक तो जरूर मना लिया जाता है लेकिन खदानें कैसी होनी चाहिएं, उनमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसकी ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। इस सम्बन्ध में देख-भाल करने वाले लेबर डिपार्टमेन्ट के जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं, वे अजमेर में रहते हैं। वह इतना निकम्मा डिपार्टमेन्ट है कि कभी भी खदानों को नहीं देखता है, मालिकों से वे मिले रहते हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज तक नहीं मिलती है। झूठे हस्ताक्षर करा कर थोड़े पैसों में मजदूरों को टरका दिया जाता है। श्रम मंत्री से मेरा निवेदन है कि आपने कानून बहुत अच्छे बना दिये लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट जो काम करता है वह किस तरीके से काम करता है? उदाहरण के लिए 5 रु० 80 पैसे मिनिमम वेज जो आपने तय कर रखी है वह भी मजदूरों को नहीं मिलती है और इस सम्बन्ध में जब शिकायत की जाती है तो भीलवाड़ा के जो एल०वी०ओ० या रीजनल लेबर कमिश्नर हैं वे खदानों में जाकर लीपा-पोती कर देते हैं, आगे कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। इस प्रकार से आज जो मजदूरों का शोषण हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि पेमेन्ट आफ वेजज के संबंध में जो अलग अलग अथोरिटीज बनी हुई हैं और जो वेलफैयर का काम माइका माइन्स के इन्सपैक्टस या जो अधिकारियों को दिया हुआ है, उनको देखना चाहिए कि मजदूरों को मिनिमम वेज मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इन्सपैक्टर्स लोग देखते नहीं हैं और वहां इसीलिए झगड़े होते हैं। आपने जो सेक्शन 5 (अ) और (ख) में अपने अधिकारियों को प्रावधान दिए हुए हैं, उसके साथ साथ इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ा जाना चाहिए। माइका माइन्स लेबर वेलफैयर, में जो काम करने वाले लोग, हैं, मजदूरों के हित के लिए जो काम करते हैं, उनको यह भी देखना चाहिए कि मजदूरों को पूरा पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था कानून के अन्दर होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रोपोजल्स हमने अपनी कमेटी की तरफ से भी सरकार के पास भेजी है, लेबर डिपार्टमेंट के पास भेजी है, मगर उसके संबंध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट के अन्दर कर दिया जाए कि इन्सपैक्टर्स या वैलफेयर आफिसर्स उनको मिनिमम वेज दिलवायेंगे और पेमेंट आफ वेजज के संबंध में कार्यवाही करेंगे, तो उससे जो लोग आज वेजज से महरुम रह जाते हैं, जिनको कम वेतन मिलता है, वे प्राप्त कर सकेंगे। वहां की लेबर यूनियन्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि वे लोग प्राविडेंट फण्ड या ग्रेच्युटी भी प्राप्त कर सकें। कुछ इस प्रकार के अधिकार यदि आप वेलफेयर एक्टीविटीज में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको दें तब जाकर मजदूरों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं और जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, वे उनके ऊपर ध्यान देंगे और आइंदा इस प्रकार का जब कभी मौका आए तो इस प्रकार का प्रावधान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Sir, the Committee on Subordinate Legislation, Fifth Lok Sabha, in their Fourteenth Report, desired that the Government should undertake a review of all acts to find out which of

[Shri Mool Chand Daga]
them did not contain a provision of laying down the rules framed thereunder.

तो आप कमेटी की पालना इस प्रकार करते हैं कि चौथी लोक सभा में पेश किया और 7 वीं लोक सभा में आप अमेण्डमेन्ट ले कर यहां आये हैं। इस के लिये मैं श्री टी० अन्जैय्या साहब को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चौथी लोक सभा आप को कोई दो बार डायरेक्शन देदे और उस के बाद आप पांचवीं और छठी लोक सभा में नहीं लायें, सातवीं लोक सभा में लाये ....

PROF. N. G. RANGA: It was the earlier Government which was remiss in this.

श्री मूल चन्द डागा : फिर भी मैं आप को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात तारीफ की है कि 1946 में जो एक सोशियो-इकानामिक लेजिस्लेशन बन गया, जो माइका-माइन्ज वेलफैयर,-फण्ड, 1946 है, उस के बाद यह बड़ी अजीब बात है कि कि 1946 से लेकर 1980 तक बिना रुल्ज बनाये काम चलता रहा। कितना गजब का ये लोग काम करते हैं। आप इस के सारे प्राविजन्ज को पढ़े, 1946 में लेजिस्लेशन बना लेकिन उस के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इस में पार्लियामेन्ट के सामने कुछ नहीं लाना था, केवल सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सामने जाना था, लेकिन वह भी नहीं हुआ। सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम तो इन को ही करना था।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज कल एक्जीक्यूटिव अथारिटीज पार्लियामेंट के राइट्स पर एन्क्रोचमेन्ट कर लेती हैं और इस प्रकार एन्क्रोचमेन्ट करती हैं, आर्टिकल 309 की बात छोड़ दीजिये, सारी सर्विसिज के अन्दर इन्होंने रूल्ज का अमेण्डमेन्ट किया और जहां सूटेबिल हुआ वहां अपने लोगों को लगा दिया। इन्होंने इस तरह से एक्जीक्यूटिव एजेन्सी का एक बिल 1946 में पास किया। हमारी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी कहती है कि इसके नीचे आप इस क्लाज को इंक्लुड कीजिए। आज 9 साल के बाद अंजैय्या साहब इसको ले कर आये हैं। यह बहुत धन्यवाद की बात है, उनकी मेहरबानी है।

यह सारा काम 1946 से चल रहा है। सभापति महोदय, कैसे यह सारा काम चलता रहा है यह भगवान जाने। सभापति जी आप तो महाराष्ट्र असेम्बली के स्पीकर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे एक्जीक्युटिव हमारे राइट्स पर एन्क्रोचमेंट करती है। आप जरा इनसे कहिये। भगवान इन माइका वर्कर्स की रक्षा करे। माइका माइंस वर्कर्स आंध्र मे हैं, राजस्थान में हैं।

मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं भी पांच साल के लिए वैल्फेयर फण्ड बोर्ड का मेम्बर रहा हूं। उसका मेम्बर, बनने में एक आराम है कि जो मेम्बर बन जाता है वह टी० ए०, डी० ए० बना सकता है। जितने भी बोर्ड के मेम्बर बनते है उनके टी० ए०, डी० ए० खूब बनते हैं। मैं एक लेबर कालोनी का डवलपमेंट देखने गया। वहां की उसी दिन सफाई हुई थी। वरना वहां के मजदूरों की दर्दनाक हालत थी।

हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने काफी श्रम किया है, बड़ी कृपा की है यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं। मगर मैं उनसे कहता हूं कि यह एक आर्टिकल निकला है, माइका माइंस के मजदूरों के बारे में, जरा वे इस आर्टिकल को पढ़ लें। हमारे वैल्फेयर फण्ड के बारे में कोई कानून नहीं है। यह वैल्फेयर फण्ड इसलिए होता है कि उसका बीस परसेंट आफिसर के घर में खर्च होता है। उसके यहाँ सर्वेन्ट रहते हैं। वैल्फेयर फण्ड से रीडिंग रूम बना रखे हैं। मैंने

उनमें देखा कि कुछ अखबार रखें हैं, एक जगह मैंने देखा कि साप्ताहिक हिन्दुस्तान रखा हुआ था। वे कौन पढ़ता है, वे आफिसर के चिल्ड्रन पढ़ते हैं। बच्चों की एक प्रसिद्ध मैगजीन चन्दामामा मैंने वहाँ देखी। मैंने पूछा कि यह कौन पढ़ता है? क्या यह मजदूर पढ़ते हैं? एक लेबर ने मुझे दबी जबान में बताया कि आज आप आये हैं इसलिए यह यहाँ आज टेबिल पर रख दी गयी है वरना यह आफिसर के घर पर उसके बच्चों के काम आती है।

मैं कहा करता हूं कि ये जो वैलफेयर फण्ड के आरगेनाइजेशन काम करते हैं वे लेबर लीडर्स के लिए काम करते हैं। उन लेबर लीडर्स के लिए जो कि चंदे पर रहना चाहते हैं। वे ही इन फण्ड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मजदूरों की जिन्दगी को देख देख कर तो मुझे तरस आता है। ये तथाकथित ट्रेड यूनियन उस फण्ड का लाभ उठाते हैं। यह मैं ठीक कह रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं।

सभापति महोदय : डागा जी यह अमेंडमेंट बिल है, आप जनरल विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : 1946 के बाद यह जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके लिए तो मैंने पहले धन्यवाद कर दिया। लेकिन ऐसे मौकों पर मजदूरों के लिए ध्यान खींचा जाना चाहिए।

माइका मांइस में जो वर्कर्स काम करते हैं वे टी० बी० के पेशियेन्ट होते हैं। उनको टी० बी० बहुत अफेक्ट करती है। क्योंकि उनकी रहने की हालत, खाने की हालत और पीने की हालत बहुत खराब होती है। आप रोज कुछ न कुछ लेबर के लाभ के लिए लाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बार बार मैं कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी हालत बहुत ही चिन्ताजनक है, दयनीय है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ अधिक उनकी हालत के बारे में कहूं।

PROF. N. G. RANGA: The condition of women workers are even worse.

श्री मूल चन्द डागा : आप यह सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ले कर आए हैं लेकिन जितने भी रूल्ज बने हुए हैं उनको भी तो आप टेबल पर रख दें ताकि उनकी कमेटी जांच कर ले। हम यह नहीं कहेंगे कि आप देरी से क्यों रख रहे हैं। हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे इस पर। जो आपका धर्म है उसको आप कर दें, जो दान करना है अभी कर दें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : माइका माइनिंग के काम में जो श्रमिक नियोजित हैं उनके वास्ते जो उपबन्ध हैं और उन में जो संशोधन आप कर रहे हैं, उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आपको एक व्यापक बिल लेकर हमारे सामने आना चाहिये था। ऐसा नहीं होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को ही सारी पावर्ज डेलीगेट कर दी जाएं।

16.35 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

माइका माइन ओनर्ज अधिकारियों के साथ मिल कर कुछ ऐसे प्रबन्ध कर लेते हैं कि उनके नाजायज कामों पर कोई पाबन्दी नहीं लग पाती है और मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिये नहीं मिल पाता है। आज मजदूरों की हालत जो माइनिंग करते हैं, चिन्तनीय है। मेरे क्षेत्र में मुख्यत: माइका माइनिंग का काम तथा माइका प्रोसैसिंग का काम होता है। माइनिंग के काम में जहां पहले दस पंद्रह हजार श्रमिक लगे हुए थे कोडरमा क्षेत्र में और गिरीडीह, हजारी बाग, मुघेर का जो करीब डेढ़ सौ किलोमीटर का बैल्ट है, उस में वहाँ आज केवल दो तीन हजार से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। माइका का जो उत्पादन है वह इस कारण से दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

यह है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए जो उपाय अभी उपलब्ध हैं, जो व्यवस्था है वह नितान्त असन्तोषजनक है, अपर्याप्त हैं। इस कारण से मजदूर वर्ग में असन्तोष बहुत बढ़ता चला जा रहा है। वेस गठित भी नहीं हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि माइका माइंज सुदूर जंगलों में चालीस, पचास, साठ, सत्तर मील दूर दूर होती हैं और वे युनाइट नहीं हो पाते हैं और यूनियनबाजी भी अधिक नहीं हो पाती है। जो माइन ओनर्ज हैं वे उनको जैसा चाहते हैं अपने इशारे पर नचाते हैं। यही कारण है कि परमानेंट लेबर बहुत कम संख्या में है, दस पंद्रह परसेंट ही है और बाकी तमाम जो लेबर है वह अस्थायी है। अस्थायी उसको इसलिए रखा जाता है ताकि उनको मजदूरी कम देनी पड़े और प्राविडेंट फंड आदि की सुविधायें उनको प्राप्त न हो सकें। इसका नतीजा यह है कि माइनों से उत्पादन जो होता है वह गिरता जा रहा है और जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी उसमें गिरावट आ रही है। 1968 में 32200 मैट्रिक टंज का जहां उत्पादन हुआ था वहां वह 1970 में गिर कर 32000, 1973 में 26000, 1978 में 16000, 1979 में 8000 और सम्प्रति 6500 मैट्रिक टन रह गया। माइका के उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई है। इसका कारण यह है कि जो मजदूर अबरक खनन के कार्य में लगे हुए हैं उन्हें अबरक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो सुविधायें मिलनी चाहिएं, वे उन लोगों को उपलब्ध नहीं है।

अबरक खान श्रम कल्याण संगठन का मुख्यालय करमा में है। वहां एक हास्पिटल है। वहां एक कल्याण प्रशासक और एक उपायुक्त हैं। कमिश्नर इलाहाबाद में रहते हैं। मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गइ, है, वह अपर्याप्त है। अधिकारी वहां पर पंद्रह बरस से पड़े हुए है। किसी का स्थानान्तरण नही होता है। उन्होने भ्रष्टाचार का एक जाल बिछा रखा है, जिसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। जो अबरक श्रम कल्याण प्रशासक हैं, वे वहां पर पंद्रह बरसों से बैठे हुए हैं। वह कोआपरेटिव का 45 लाख रुपया खा गये हैं। उन्होंने तीन लाख रुपये बिस्कुटों के नाम पर खर्च कर दिये। उन्होंने कुछ रुपया खर्च कर के मजदूरों को बिस्कुट दे दिये और बाकी रकम को हज्म कर गये। मैंने इस बारे में कई बार लिखित रुप से कहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है।

नियम और उपनियम बनाने की पावर दिल्ली में हैं। रस्थल पर जा कर कोई नहीं देखता है कि मजदूरो के काम करने, रहने और खाने आदि की क्या स्थिति है। उनके गांवों में सड़के नहीं हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। बच्चों की पढ़ाई और टी०बी० के इलाज की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

अबरक खानों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति सदा उपेक्षा वरती गई है। जो नियम बनेंगे उनकी घोषणा शासकीय गजेट में कर दी जायेगी। जब वे स्वीकृत के लिए पार्लियामेंट में आयेंगे, तो सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। 1946 में जो कानून बना था, उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही उस पर पुनर्विचार किया गया है।

मइका के उद्योग में आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कई लाख मजदूर काम कर रहे हैं। दुनिया का 80 प्रतिशत माइका यहां पैदा होता है। उसकी स्थिति हीरे जवाहिरात की तरह है। वह 2 रूपये से ले कर छः हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। उसकी बहुत बुद्धिमत्ता से जांच की जाती है। प्रोसेसिंग के काम में भी लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। उनके लिए भी

चिकित्सा तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध नही हैं। अबरक पर लगाई गई माइका एक्सपोर्ट ड्यूटी के द्वारा 1968 से आज तक 100 करोड़ रुपये से अधिक केन्द्रीय सरकार के कोष में गये होगे। लेकिन उस रकम में से मजदूरों के फायदे के लिए कुछ नहीं खर्च किया गया है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अबरक मजदूरों का काम और टेकनीक दूसरे मजदूरो से भिन्न है। उन लोगों को पांच रुपये से साढ़े दस रुपये तक की मजदूरी मिलती हैं। अमरीका और इंगलैंड आदि देशों मे अबरक ले जा कर उसका प्रासेसिंग किया जाता है। वहां के इंजीनियर वही काम करते हैं, जो यहां के अनपढ़ मजदूर करते हे लेकिन उनको 200 रुपये प्रति दिन की मजदूरी मिलती हैं।

अन्त में मै कहना चाहता हूं कि माइका वेज बोर्ड बनाया जाना चाहिए। मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाए कि उन लोगों का कल्याण और सर्वांगीण विकास किस तरह हो सकता है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, बड़ी खुशी है कि 1946 के बाद आज जब इस बिल पर फिर से विचार करने का मौका मिला है तो यह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो मजदूरो के प्रति खुद हमदर्द रहे है, उन के मन मे काफी सम्वेदना उन के लिए है। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे ढंग से वे उन की समस्याओ पर ध्यान देंगे। माइका माइन्स एक्ट के सेक्शन 2 के सम्बन्ध में और लोगो ने कहा है, मुझे भी इस के सम्बन्ध मे यह कहना है कि इन के स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं दी गई है वह बहुत ही अपर्याप्त है। अक्सर वे टी० बी० के शिकार हो जाते है जो इस में काम करने वाले है और जो उन को सुविधाएं दी गई है वह समुचित नही है। उन के काम को आधुनिकरण होना चाहिए जिस से कि उन के स्वास्थ्य को बचाया जा सके और वे सबल रह सके। उन क स्वास्थ्य के ऊपर जो तरह तरह के कुप्रभाव पड़ते है और अनेक बीमारियों के जो व शिकार हो जाते हैं उस से उन को बचाया जा सके इस के लिए समुचित उपाय होने चाहिएं। जो अस्पताल या दवाखाने वहां हैं वे बहुत ही अपर्याप्त है और उस से उन मजदूरों का हित नहीं हो पाता। यही कारण है कि बहुत ही कम आयु में वे मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। और ऐसी हालत में जब वे मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते है तो उन के बच्चों या आश्रितो की देखरेख करने वाला कोई होता नही, उन की बड़ी दुर्गति होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मजदूर ही हमेशा मारा गया है। यही कारण है कि इस पार्लियामेंट के अंदर तमाम बिलों पर विचार हुए, 1946 के बाद तमाम इतने कानून बने, सब के सवालो पर विचार हुआ लेकिन जिन की समस्याओ की उपेक्षा की गई वे मजदूर है। एक्ट में तीसरे नम्बर पर उन के एजूकेशन की बात कही गई है कि एजुकेशन की सारी फसिलिटीज़ उन को मिलती हैं। अगर एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज माइका माइंस के मजदूरों को मिलती है, उन के बच्चों को मिलती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मजदूर का लड़का क्यो मजदूर ही होता है? माइका माइन्स के मजदूर का लड़का अफसर या साहब क्यो नही होता? उस से बड़ा अधिकारी क्यो नही होता? इस से अपने आप यह साफ है कि एजुकेशन की सुविधा उन को मिलती नही है और बाकी जितनी भी सुविधाओं की चर्चा की गई है वह भी उन को नहीं मिलती। लास्ट में उनके स्टेंडर्ड आफ लिविंग को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं उन का रहनसहन का स्तर क्या हे? व देश के

[श्री आर० एन० राकेश]

लिए काम करते हैं, देश की उन्नति के लिए काम करने वाला मजदूर होता है लेकिन उसे उस के बदले में कुछ मिलता नहीं है। जैसा कि और साथियों ने कहा, मैं उन से सहमत हूं कि देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने और विदेशी मुद्रा की होड़ में देश को आगे बढ़ाने में मजदूर का बहुत बड़ा हाथ रहा है लेकिन उस का रहन सहन का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस निधि का सारा का सारा खर्चा जो है, सेक्शन 2 के (बी) और (सी) को देखें, उस का ज्यादातर हिस्सा प्रशासन पर खर्च होता है, इन के वैलफेयर के लिए वह खर्च नही होता। इस चीज को मंत्री महोदय को देखना चाहिए।

दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि देश मे माइका की कमी नही है। बहुत ज्यादा मात्रा में माइका उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा उस मे कमायी जा सकती है। लेकिन इस के लिए सर्वे के पर्याप्त साधन नही है जिस मे सारे देश के अंदर इसका सर्वे किया जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त मात्रा में माइका उपलब्ध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से अध्ययन कराएंगे और जहां भी माइका अवेलेबल होगा वहा से इसको निकालने का काम शुरू करेंगे जिस से ज्यादा हाथों को काम मिल सकेगा।

इस के साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि बिचौलियों की, ठेकेदारों की जो प्रथा है इसे समाप्त कर के इसे प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कर देना चाहिए जिस से उन के शोषण का काम बन्द हो सके। सरकार यदि इसे अपने हाथों में लेगी तो सरकार का ज्यादा फायदा होगा और बड़े बड़े लोग जो इस से फायदा उठाते हैं और जो गरीबों का शोषण करते है वह शोषण की प्रवृत्ति समाप्त होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री टी० अंजय्या: सभापति महोदय, अभी यहां पर हमारे बहुत से सदस्यों ने माइका माइन्स की सारी चीजों के बारे में, वैलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया कि मजदूरों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिएं वह नही मिल रही है। यह सही है कि माइन्स में काम करने वाला मजदूर जब सुबह जाता है तब शाम को वह वापिस आयेगा या नही—यह कहना मुश्किल होता है। इस देश मे जो एक्सप्लायटेशन माइन्स में हो रहा है वह हम सभी जानते है। कोल माइन्स को जबसे सरकार ने अपने हाथ में लिया तब से मजदूरों को मकानात के बारे में, कम्पेन्सेशन के बारे में तथा अन्य वेलफेयर स्कीम्स के बारे में तमाम सहूलियतें मिल रही है। बहुत से लोग कहते है कि जब से सरकार ने कोल माइन्स को अपने हाथ मे लिया है तब से कोल की प्राइसेज बढ़ गई है, यह ठीक है और मै इस बात को मानता हू लेकिन इस देश मे उन मजदूरो का जो एक्सप्लायटेशन होता था वह तो बन्द हो गया है। वैसे ही और माइन्स की भी बात है। मै प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नही हूं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सिवाय पैसा कमाने के और कोई बात नही सोची जाती। कोई भी मिल मालिक यह बात नही सोचता कि मजदूरो के लिए मकानात बनाये जाये और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या अन्य सहूलियतें दी जायें। जितनी मल्टी-नेशनल इण्डस्ट्रीज है वे थोड़ा बहुत करते है लेकिन टाटा, बिड़ला जैसे बहुत से बड़े बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने आज तक कभी मकानात बनाने की बात नही सोची। वे सोचते है कि और पैसा आये तो दूसरी इण्डस्ट्रीज लगा कर और ज्यादा पैसा कमाया जाए।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लेबर ऐक्ट्स 30–40 साल से चल रहे हैं जिनमें

कोई परिवर्तन नहीं आया और न ही नए ढंग से कोई बात सोची गई । हमने लेबर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस करके नए ढंग से सोचने का प्रयास किया है ताकि उचित चेंजेज लाए जा सकें । हमारे देश में बड़े बड़े लोग लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं जैसे कि नन्दा जी, संजीवैया जी, खाडिलकर जी, बाबू जगजीवन राम जी और हमारे रवीन्द्र वर्मा जी इत्यादि लेकिन इस बात को किसी ने नहीं सोचा कि वर्किंग क्लास में किस तरह से तब्दीली लाई जाए । आज फारेन कन्ट्रीज में जाकर देखते हैं कि क्या फसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्या सेफ्टी मेज़र्स होते हैं, किसी कन्ट्री की लोग बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मजदूर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इस बात की तरफ किसी का ध्यान नही जाता कि वहां पर कोल माइन्स में काम करने वाले मजदूर कितनी कलरीज़ और विटैमिन खाते हैं और हमारे देश के मजदूर क्या खाते हैं । वहां पर कोलमाइन में जाकर मजदूर के जिस्म पर क्या असर होता है और हमारे देश में क्या असर होता है--इसको कोई नहीं देखता है ।

मैं यह बात भी कहता हूं कि हमारे देश में ट्रेड यूनियन में फूट है और ट्रेड यूनियन लीडर्स में फूट का फायदा वे लोग उठाते हैं ।

वेजेज़ के बारे में यहां पर कुछ लोगों ने कहा है । हमारे यहां वेजेज़ के इंप्ली-मेन्टेशन की जो मशीनरी है, आप जानते हैं उसमें काफी डेफेक्ट है । इस सम्बन्ध में मैंने अपने डिपार्टमेंट के काफी लोगों को इस काम पर लगाया है, वे लेबर लाज़ को देख रहे हैं और हम काफी चेंजेज करने की बात सोच रहे हैं । मुझे उम्मीद है अगले सेशन में इस सम्बन्ध में बहुत से अमेन्डमेन्ट्स लाये जायेंगे ताकि प्रोडक्शन और इण्डस्ट्रियल पीस की गारन्टी लाई जा सके । एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्रियल दोनों ही क्षेत्रों में पीस लाने और वेलफेयर करने के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना है और करना है । इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन अभी तो सिर्फ, पार्लमेन्ट के सामने जो रूल्स नहीं रखे जाते थे, इस सम्बन्ध में जो अमेन्डमेन्ट है वह आपके सामने रखा गया है । इस में कोई शक नही है कि माइका माइन्ज़ ऐसी इण्डस्ट्री है जिस का सारा माल खोद-खोद कर फारेन जा रहा है और सस्ते में जा रहा है, एक वक्त आयेगा कि हम को महसूस होगा कि हमारा सारा नेशनल वेल्थ सस्ते में चला गया । एक दफ़ा खड्डा खोदने के बाद उस में दोबारा पैदा नहीं हो सकता, जो निकल गया वह निकल गया । मैंने आन्ध्र में देखा है--जब मैं मिनिस्टर लेबर था, चेयरमैन भी था--कि एक वक्त आयेगा, जब हम अपने बच्चों को बतायेंगे कि यहां पर भी एक माइका माइन्स थी ।

एक बात देखता हूं--चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, जब हम एक्सपोर्ट की फिगर्स को देखते हैं तो मालूम होता है कि हम टनों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन कम दिखाई देती है । इसका मतलब यह है कि टैक्स को बचाने के लिये जो माइन्ज़ के ओनर हैं, वे प्रोडक्शन को कम बता रहे हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं । इन बातों के लिये मैं माइन्ज़ के मिनिस्टर साहब से बात करूंगा...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : बगैर प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट हो रहा है ।

श्री टी० अंजैय्या : जो फिगर्स मुझे मिली हैं उन के मुताबिक प्रोडक्शन कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा

[श्री टी० अंजैय्या]

है । मालूम नहीं किस तरह से स्मग्लिंग हो रहा है? यह किस तरह से हो रहा है, इन सारी बातों को देखना है ।

माइका माइन्ज में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन की बहुत कम तनख्वाह है । हमारे रविन्द्र वर्मा साहब ने इस सिलसिले में कुछ कोशिश भी की थी, लेकिन उन को वक्त नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं उन के दिल में हमेशा वर्कर्स के लिये कुछ करने की इच्छा रहती है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस मामले में जो काम करना है, वह एक-दो दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने कानून हैं, ये सब 30-40 साल पुराने हैं । ब्रिटिश के ज़माने में एक काम यह हुआ कि वे जाते जाते हम लोगों को एक्ट्स और रूल्ज़ में फंसा कर चले गये । एक अफसर एक रूल देता है तो दूसरा दूसरा रूल बनाता है । इसीलिये मैंने अफसरों से कहा है कि प्रोडक्शन की बात करो, उन्नति की बात करो, इण्डस्ट्रीयल-पीस की बात करो । अगर रूल्ज़ और एक्ट में तरमीम करनी है तो हम उस को ज़रूर करेंगे ।

इस बिल के अन्दर कुछ नहीं है, कई दिनों से यहां पर कई बातों की चर्चा हो रही है । जैसे माइका माइन्ज के लोगों के लिये आप ने कहा कि बहुत सी बातों के बारे में अमेण्डमेन्ट होने चाहिये । यह ठीक है, लेकिन इस वक्त तो वेलफयर फण्ड के बारे में है, रूल्ज़ के बारे में जो ज़रूरी था, उतना ही रखा गया है । इस लिये मेम्बर साहबान ने जो सुझाव दिये हैं, उस के लिये एक नया एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ज़रूर लायेंगे । मिसाल के तौर पर यह एक्ट भी 1946 में बना था, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो 30-40 साल पुराना न हो । आप ने वर्कर्स की वेजेज़ के बारे में कहा— यह ठीक है, उन के लिये वेज पालिसी का निर्णय करना है । बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है—हम चाहते हैं कि नेशनल वेज पालिसी बने, इण्डस्ट्री-वाइज़ वेज पालिसी लायें । इस के लिये एम्पलायर लोगों से हम बात-चीत कर रहे हैं । आप जानते हैं—फैक्ट्री एक्ट के अन्दर किसी भी मालिक को, जिसे फैक्टरी चलानी है, उस को इन कानूनों पर चलना पड़ेगा । हमें उस को बताना होगा कि तुम्हें हाउसिंग स्कीम को बनाना ज़रूरी है । वे करोड़ों रुपयों की फैक्टरी तो बना लेते हैं, लेकिन अब उन को मज़दूरों के रहने के लिये मकान वगैरह भी बनाने होंगे । मज़दूरों के लिये हम ऐसी कोशिश करें, एक ऐसी पालिसी लायें जिस में एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री मे जो सुविधायें मज़दूरों को मिलनी चाहिये, वे ज़रूर मिलें ।

इस बिल पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो वेलफयर फण्ड बने हैं, उन में बहुत पैसे की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उतना खर्च नही हुआ है । इसलिये अगर काम नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दिलचस्पी नहीं है । हमें इस में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिये और जो पैसा वसूल हुआ है, चाहे माइका माइन्ज़ से हो या कोल से हो, वह खर्च होना चाहिये । कई जगह मैंने देखा है कि माइन्ज़ में फर्स्टएड का इन्तज़ाम भी नहीं है । अगर कभी कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है तो मालिक से अगर मज़दूर को अस्पताल ले जाने के लिये कार मांगते हैं, तो वह भी नहीं मिलती है । दूसरी कई बातें हैं—इन तमाम बातों के लिये एक्ट में तरमीम लाने की ज़रूरत है मुझे उम्मीद है—इन तमाम चीज़ों को लाने में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे लायेंगे ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बिल आप के सामने आया है, उस को आप स्वीकार करें और मैं दरख्वास्त करता हूं कि बिल के कन्सीड्रेशन मोशन को मन्जूर किया जाय ।

MR. CHAIRMAN: I will now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House. The question is:

"That the Bill further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, be taken into consideration."

The motion was adopted.

17.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause by clause consideration of the Bill.

There are no amendments to Clause 2. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI T. ANJIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Now Shri Kamla Mishra Madhukar.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (मोतीहारी): सभापति महोदय, आपने एक बात कही है कि प्राइवेट मालिक मजदूरों को बहुत लूटते हैं । यह आपने कबूल किया है और कबूल करने के बाद भी यह जो बिल लाये हैं वह इस तरह से है जैसे कि हिन्दु समाज में जब यज्ञ होता है तो पंडित लोग नैवेद्य, अक्षत और पुष्प डालते हैं और कुछ चन्दन डालते हैं और समझते हैं कि तमाम देवताओं की पूजा कर दी । यह भी इसी तरह से है । आपको माइका माइंस मजदूरों के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए था ।

मजदूरों का इतना शोषण होता है । उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में, उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में, उनके भविष्य के सम्बन्ध में, उनकी दवा-दारू के सम्बन्ध में, उनके मकान के सम्बन्ध में, तमाम चीजों के सम्बन्ध में आपको बिल लाना चाहिए था । अंग्रेजों के जमाने में यह कानून बनाया गया था । उसमें पैबंद जोड़ कर आप यह बिल ला रहे हैं । लाना आपको कम्प्रीहेंसिव बिल चाहिए था । तमाम समस्याओं के बारे में सम्यक् रूप से विचार करने के बाद आप बिल लाते तो आप की बड़ी तारीफ होती । अब भी उसको ही लाइये ।

इस बात को आपने भी कबूल किया कि मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत सारे कानून पास हैं लेकिन उन कानूनों को अमल में नहीं लाया जाता । अब क्या गारन्टी है कि जो बिल आप पास करने जा रहे हैं, इस विधेयक के पास होने के बाद इसको भी अमल में लाया जाएगा। मैं अपने जिले, प्रांत की बात कहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं हरिजन कल्याण और श्रमिक कल्याण की हैं लेकिन उन सब में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । जो रकम उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके लिए वह है उस में से आधी अफसरों को चली जाती है । इसको कई मेम्बरों ने कहा है, आपकी पार्टी के मेम्बर श्री डागा ने भी कहा है कि अफसर लोग श्रमिकों के लिए जो खजाने से पैसा मिलता है उस पैसे को लूटते हैं । इसलिए मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि जो कानून आप मजदूरों के कल्याण के लिए बनाते हैं उनके अमल के बारे में गारन्टी

[श्री कमला मिश्र 'मधुकर']

कीजिए । मैं समझता हूं कि यह गारन्टी आपके राज में होने वाली नहीं । समाजवादी मुल्कों में जो कानून बनते हैं उनमें कहा जाता है उनको अमल में लाने की हम गारन्टी करेंगे । जब तक आप इनको अमल में लाने की गारन्टी नहीं करेंगे तब तक इन पर अमल होना संभव नहीं होगा । इसलिए इसके बारे में आप गारन्टी कीजिए ।

यह जो माइका खदान हैं उनमें प्राइवेट टस्ट्रीज लगी हुई हैं । उनमें सरकार का कंट्रोल होना चाहिए । अगर वे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के हाथों में रहेंगी तो वे उनमें लूट मचाते रहेंगे । उनको सरकारी हाथों में लिया जाना चाहिये । तभी मजदूरों को भी राहत मिलेगी ।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): I wish to congratulate my hon. friend, Mr. Anjiah, on this Bill. It goes to the credit of both himself and the Cong. (I) Party to which I also belong, that this good fortune should have come to them to be able to win and get the whole-hearted support of the Opposition and from no less a person than Shri Verma who was the Labour Minister in the previous Government and who has been working for workers and farmers and all the poor people, for several decades.

I am also glad that several constructive suggestions have been made. I would like my hon. friend, Mr. Anjiah, to give serious consideration to two suggestions that have been made by friends from the Opposition as well as from this side.

One is the establishment of Wage Board. It would be worthwhile to constitute one like that. The second suggestion has fallen from the lips of Mr. M. Anjiah himself that there is a good case for nationalising this industry. The mica exports are already nationalised. I speak subject to correction. Production should also be nationalised. My friend himself has said that all the figures are manipulated by these people. So much so that the production seems to be less and the export seems to be more. How will one explain this anomaly? The only remedy to get over this type of problem is to nationalise this industry. If we are nationalising it and at the same time, we do not have the Wage Board, then you allow these workers to be exploited or to be worked in the same manner in which they have been working now. So, it will not serve any purpose at all Therefore, I want that these two propositions should be considered seriously and at an early date.

In the constructive manner in which the Opposition has approached this Bill, I hope the Government would appreciate that constructive approach of the Opposition and would come forward with the necessary Bills that are needed in regard to the welfare of labour, in the next session of Parliament. I hope also the Business Advisory Committee would be willing to spare sufficient time so that these Bills would be brought forward before the House and they would come to be passed in both the Houses of Parliament.

श्री टी० अंजैय्या : पहली बातों को दोहराना ठीक नहीं है । जैसा हमारे बुजुर्ग नेता प्रो० रंगा ने कहा है हर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना मुश्किल हैं । एक बात मैं समझ सकता हूं । जहां एक्सप्लायटेशन हो रहा है, क्लोजर्स हो रहे हैं, मिलों को सिक बनाया जा रहा हैं, वर्कर्ज को वेजिज कम दी जाती हैं, वहाँ पर इसके बारे में सोचा जा सकता है । आप तो जानते ही है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में काफी सिक मिलों को लिया गया है । टैक्सटाइल मिलों को भी लिया गया है । बहुत से मिल मालिक आप जानते हैं बहुत बड़ा फायदा उठा लेते हैं, बैंकों से कर्ज ले लेते हैं, शेयरहोल्डर्ज को दबो देते हैं और उसके बाद मिल को या फैक्ट्री को बन्द कर देते हैं । आप तो यह जानते

ही है कि हम सौ से ज्यादा और शायद दो तीन सौ सिक मिलें ले कर चला रहे हैं। बंगाल में भी कुछ इंडस्ट्रीज को ले कर चला रहे हैं। लेकिन हर चीज को नेशनलाइज करना हमारा मकसद नहीं है। जहाँ क्लोजर होता है, एक्सप्लायटेशन होता है, वहाँ हम को सोचना पड़ता है। यह एक पालिसी मेटर है। हम इसके बारे में सोच भी रहे हैं। माइका माइंज के लिए नए एमेंडमेंट लाने की जरूरत हैं। नया कानून जब पार्लियामेंट के सामने आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि माइका माइन वर्कर्ज के साथ जो आपको हमदर्दी है, वही हमदर्दी गवर्नमेंट की भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी बिल लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed.

"That the Bill be passed."

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): Sir, the teachers are demonstrating at the Boat Club and they are demanding better facilities. I would request the hon. Education Minister to look into their grievances and try to solve their problem.

17.10 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: MINISTERS' (ALLOWANCES, MEDICAL TREATMENT AND OTHER PRIVILEGES) AMENDMENTS RULES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): I beg to move:

"This House approves the draft Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1980 framed under sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and laid on the Table of the House on 18th June, 1980."

This is a very simple and formal resolution, which seeks to remove the anomaly arising out of the adoption of the Third Pay Commission Report, whereby the incidental charges which were given to Class I officers are removed. Rule 9(2) of the Ministers' (Salaries and Allowances) Rules says:

"Actual travelling expenses limited to the allowances for incidentals for the time being admissible to a Government servant of the first grade on journey on tour, subject to the furnishing of the details of the actual travelling expenses."

So, under rule 9(2), the incidental charges which were admissible to the Ministers were equivalent to those which were admissible to Class I officers. With the introduction of the Third Pay Commission Report, the incidental charges given to the Class I officers are removed. Instead of that, a system of TA is introduced from June 1974 for the entire period of absence from the headquarters, starting from the departure to the return to the headquarters. Since the incidental charges for Class I officers, which have been made applicable to Ministers, have been removed, this Resolution has been brought before the House.

Rule 11(2) says:

"Every rule made under this Act after the commencement of the Salaries and Allowances for Ministers Amendment Act, 1977, shall be laid before each House of Parliament, and no such rule shall come into force until it has been approved, whether with or without modification, by each House of Parliament and published by the Central Government in the Official Gazette."

Therefore, I have moved this Resolution.